न्यायालय श्री ए0एच0 गौरी, आर0ए0एस0, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

(1) अपील संख्या : 10/2017

अर्जुनराम पुत्र माणकराम जाति माली निवासी, नोखा तहसील कोलायत, जिला बीकानेर — अपीलान्ट

बनाम

स्टेट, जरिये उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत जिला बीकानेर। — रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 30.08.2017 न्यायालय तहसीलदार उपनिवेशन इं.गां.न.प. गजनेर जिसके द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अतिक्रमी घोषित किया है, को अपास्त कर अपील स्वीकार करने बाबत।

अपील अं.धा. 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट सपठित उपनिवेशन एकट 1975

उपस्थिति अभिभाषक :—

1. श्री जयचन्दलाल, सारस्वत, अभिभाषक, अपीलार्थी।
2. श्री दामोदर दास व्यास, पैरोकारराज।

—: निर्णय :—

दिनांक :— 29—09—2017

यह अपील उपनिवेशन तहसीदार गजनेर मुख्यालय कोलायत की आज्ञा दिनांक 30.08.2017 के विरूद्ध राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अधीन इस न्यायालय में दिनांक 20.09.2017 को प्रस्तुत की गई है। जो दर्ज की गई अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तबल किया गया जो प्राप्त हुआ अप्रार्थी को तलब किया गया जो उपस्थित हुआ।

1. प्रकरण से संबंधित तथ्य जो न्यायालय के समक्ष प्रकट हुए है, वे संक्षेप में इस प्रकार है कि हल्का पटवारी मेडी का मगरा ने दिनांक 03.08.2017 को तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मुख्यालय कोलायत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह अंकित किया की खसरा संख्या 232 जिसका क्षेत्रफल 27 बीघा 1 बिस्वा है वो ग्राम मेडी का मगरा तहसील कोलायत में स्थित है, वह सिवाय चक भूमि है, जिस पर अपीलार्थी—गैर सायल अर्नुजराम ने कृषि वर्ष 2017—18 तद्नुसार सम्वत् 2074 की खरीफ फसल के दौरान आराजीराज खसरा नम्बर 232 की 2 बीघा पर बाजरी की काश्त व 5 बीघा पर गवार की फसल बोकर कुल 7 बीघा पर नाजायज काश्त की है, जिस पर गैर सायल अतिक्रमी है। अतः गैर सायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में ली जाकर वार्षिक लगान का 50 गुणा तक शास्ति अधिरोपित की जावे और गैर सायल को सरकारी भूमि से बेदखल कर कब्जा राज लिया जावे। साथ ही

गैर सायल आदतन अतिक्रमी है तथा उसने सम्वत् 2072 व 2073 की खरीफ फसल के दौरान नाजायज काश्त की थी।

2. इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर तहसीलदार ने गैर सायल के विरूद्ध कार्यवाही अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अधीन दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 22.08.2017 के लिए दिनांक 03.08.2017 को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया । गैर सायल पर नोटिस की तामिल होना मानते हुए उसके जानबुझकर उपस्थित नहीं आने के कारण दिनांक 30.08.2017 को आदेश पारित कर दिया तथा गैर सायल को सरकारी भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए उस पर 35/— रूपये की शास्ति अधिरोपित करने, भूमि विवादित से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए गैर सायल को तीन माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया इसी आदेश से परिवेदित होकर अपीलार्थी ने यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की और यह अभिकथन किया किआदेश मातहत अदालत न्याय, नियम, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के व मिसल रिकार्ड के खिलाफ है। यह भी अंकित किया की तहसीलदार ने अपने निर्णय का आधार हल्का पटवारी की रिपोर्ट को बनाया है। अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा तौर पर किसी जांच व माइंड एप्लाई किये आदेश पारित कर दिया जो कानून के विपरीत होने से अवैध है तथा काबिले निरस्तनीय भी है। अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने एवं आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 30.08.2017 को अपास्त करने का निवेदन किया।

3. बहस योग्य अभिभायक अपीलार्थी व लायक पैरोकाराज सुनी गई दौराने बहस योग्य अभिभाषक अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को विधि प्रतिकूल बताते हुए कथन किया कि अपीलार्थी ने कभी भी राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त नहीं की है उसने तो इस जमीन के चिपते ही अपने पिता माणकराम की टीसी से पुख्ता भूमि जो खसरा नम्बर 241/2 के भरोसे काश्त कर ली थी इसलिए उस पर अतिक्रमी होने का जो आरोप अधीनस्थ न्यायालय ने लगाया है वो सही नहीं है उन्होने कहा कि स्वयं अपीलार्थी द्वारा न्यायालय में आज ही इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसे यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उसके द्वारा राजकीय भूमि का कब्जा छोड़ दिया गया है। इस बहस के आधार पर उन्होने स्वयं द्वारा प्रस्तुत इस अपील को स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.08.2017 को निरस्त करने का निवेदन किया है। इस बहस के विरोध में पैराकाराज कि यह बहस रही है कि पटवारी हल्का संबंधित ने विवादित भूमि के मौके की जांच करते हुए फर्द मौका बनाया है जिसमें राजकीय भूमि पर अप्रार्थी द्वारा नाजायज काश्त करने का तथ्य आया है इस फर्द मौका पर गांव के मौजिज व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये है। अतः अधिनस्थ न्यायालय के आदेश मे किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधता नही है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी का कथन है कि पूर्ववर्ती अतिक्रमण प्रमाणित करने के लिए पटवारी के बयान का कोई

दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए हैं फिर भी अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना गया है।

4. पत्रावली का आद्योपांत अध्ययन एवं अवलोकन किया गया । साथ ही अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों को भी देखा गया। इस प्रकरण में दिनांक 22.08.2017 की तारीख पेशी निश्चित थी और दिनांक 19.08.2017 व 20.08.2017 को सार्वजनिक अवकाश था। इसके अतिरिक्त दिनांक 22.08.2017 को पेशी के रोज पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्यवश मुख्यालय से बाहर थे तथा दिनांक 30.08.2017 की तारीख पेशी नीयत की गई और दिनांक 30.07.2017 को पीठासीन अधिकारी ने यह आक्षेपित निर्णय ले लिया। हमारी राय में निश्चित तौर पर कानूनी प्रक्रिया को अपनाये बिना तथा गैर सायल पर नोटिस तामील होने/न होने के सम्बन्ध में कोई आदेशिका पारित किये बिना सीधे ही अपने निर्णय में यह अंकित कर दिया कि गैर सायल बावजूद इतला के अनुपस्थित है और हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए गैर सायल के विरूद्ध यह निर्णय पारित कर दिया। जो विधि सम्वत नहीं माना जा सकता। साथ ही धारा 22 का नोटिस अपीलार्थी को सम्वत! 2073 की खरीफ फसल के दौरान नाजायज काश्त करने का दिया था कि प्रति तो पत्रावली पर ली गयी है लेकिन उस निर्णय की प्रति व की गयी कार्यावाही विवरण की प्रतियां रिकार्ड पर नही ली गई है।ना ही उस बाबत प्रतिरक्षण का मौका ही गैर सायल अपीलार्थी को दिया जाना पत्रावली से प्रकट होता है और ना ही पटवारी के कथनों को उसके सशपथ बयानों से ही पुष्ट करवाये गये है। ऐसी स्थित में पत्रावली पर यह तो स्वीकृत स्थिति हो जाती है कि तहसीलदार ने गैर सायल को पश्वातवर्ती अतिक्रमी मानने में कानूनी भूल की है तथा इस आधार पर गैर सायल को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए 3 माह के सिविल कारवास से दण्डित करने का जो आदेश दिया गया, न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इसके बाबत अप्रार्थी/अपीलार्थी कोई रिबटल का अवसर प्रदान किया गया हो यह पत्रावली से स्पष्ट नहीं होता है। हालांकि यह सही है कि तहसीलदार जो कि एक लैंड हॉल्डर होने से नाते उसे किसी पश्चातवर्ती अतिक्रमी को 3 माह के सिविल कारावास की सजा देने की शक्तियां कानून में प्राप्त है लेकिन उसके बाबत कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत दी गई प्रकिया को अपनाकर तथा अतिक्रमी के विरूद्ध आदतन नाजायज करने के तथ्य विचारण के दौरान साबित होने पर ही ऐसा आदेश दिया जाना विधि समत माना जा सकता है इन परिस्थितयों में हम गैर सायल को 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड को कायम रखना उचित नहीं समझतें जिसे खण्डित किया जाना कानून की मांग हो जाती है तथा इसे खण्डित किये जाने उचित समझतें है लेकिन हम तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में गैर सायल के विरूद्ध अधिरोपित शास्ति व उसे सिवाय चक भूमि से बेदखली का दिया गया आदेश को विधि सम्मत मानते क्योंकि स्वयं अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर सरकारी भूमि पर नाजायज काश्त

करने की स्वीकारोक्ति दी है लेकिन साथ ही यह भी अंकित किया है कि उसने यह काश्त अपने पिता की भूमि को मानकर ही की है जानबूझकर सरकारी भूमि पर नाजायज काश्त नहीं की है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 30.08.2017 जिससे गैर सायल को 3 माह के सिविल कारावास से आदेश की हद तक अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मुख्यालय कोलायत को प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए इस बिन्दु पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए0एच0 गौरी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन